संख्या–3 एम–2–5–वे.पु–13/2002– 02/वि (2)

बिहार सरकार

वित्त विभाग

/पटना, 2 जनवरी, 2003

संकल्प

पथ – विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक–05/01/1979 के पश्चात गठित नई स्टाफ संरचना में नियुक्त शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक–01/01/1996 के प्रभाव से स्वीकृत करने के संबंध में।

राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक 05.01.1979 के पश्चात गठित नई स्टाफ संरचना में नियुक्ति शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित एवं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) पत्रांक–एफ॰ 6–6/89 टी॰5/टी॰डी॰ दिनांक 20.09.1989 द्वारा स्वीकृत वेतनमान सभी सेवा शर्तों एवं बंधेज के साथ दिनांक 01.01.1986 के प्रभाव से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के राज्यादेश सं॰–वि॰प्रा.न.3–226/89–2940 दिनांक 10.10.1991 द्वारा प्रदान किया गया था।

2. पंचम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण किये जाने के फलस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ने अपने पत्रांक एफ॰न॰–65/सीडी/एन ई सी/98–99 दिनांक–10.12.1999 द्वारा डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए नये वेतनमान की अनुशंसा की है तथा सरकारों द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित किया गया है। तदनुसार वेतनमान पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. उपर्युक्त क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानो में दिनांक–05.01.1979 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰) नई दिल्ली के पत्रांक–एफ॰न॰ 1–65/सीडी/एन.ई.सी/98–99 दिनांक–30.12.1999 द्वारा अधिसूचित निम्नांकित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, प्रोत्साहन तथा अन्य सेवा शर्तों एवं बंधेजों सेवा निवृति की आयु को छोड़कर) दिनांक–01.01.1996 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है–

क्र०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
(i)	व्याख्याता	2200–75–2800–100–4000	8000–275–13500
(ii)	वरीय व्याख्याता	3000–100–3500–125–5000	10000–325–15200
(iii)	व्याख्याता वरीय वेतनमान (कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के तहत प्रोन्नत)	3000–100–3500–125–5000	10000–325–15200

(iv)	व्याख्याता,प्रवर कोटि (कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के तहत प्रोन्नत)	3700–125–4950–150–5700	12000–420–18300
(v)	विभागाध्यक्ष	3700–125–4950–150–5700	12000–420–18300
(vi)	प्राचार्य	4500–150–5700–200–6300	16400–450–20000

3.1 राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए शिक्षकों की संवर्ग संरचना नियुक्ति की प्रक्रिया, अर्हता, पदोन्नति, प्रोत्साहन, कर्तव्य एवं दायित्व होंगे, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पत्रांक–एफ. न॰– 1–65/सीडी/एन.ई.सी./98–99, दिनांक–30.12.1999 में अंकित है, जिसके कतिपय मुख्य बिन्दु निम्नांकित है–

3-2 संवर्ग संरचना–

(i) प्रत्येक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान के लिए एक निदेशक/प्राचार्य, विभागवार एक विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त व्याख्याता एवं वरीय व्याख्याता का संवर्ग होगा जिसमें वरीय व्याख्याता तथा व्याख्याता के पदों का अनुपात 1:3 होगा।

(ii) प्रत्येक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों में कैरियर एडवांसमेंट, योजनानुसार व्याख्याता (वरीय वेतनमान) तथा व्याख्याता (प्रवर कोटि) के पद. कंडिका 3.2 (i) में निहित संवर्ग संरचना के अतिरिक्त होंगे परंतु इन पदों की संख्या संकायवार व्याख्याता के स्वीकृत कुल पदों की संख्या के सीमान्तर्गत होंगे।

(iii) प्रत्येक संस्थान में शिक्षकों (विभागाध्यक्ष सहित) की कुल संख्या ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ नार्म्स के अनुसार शिक्षक/छात्र अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जायेंगे।

3.3 नियुक्ति की प्रक्रिया –

(i) सभी संवर्गीय पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर किए विज्ञापन के गुणागुण के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जायेगी।

(ii) सभी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक/वांछित अर्हता ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुरूप होगी।

(iii) पूर्व में किसी पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं अनुभव के सापेक्ष वर्तताान पुनरीक्षण में जहॉ किसी पद की लिए उच्चतर अर्हता एवं अनुभव अनुशंसित किए गए हैं वे नई नियुक्ति के लिए लागू होंगे तथा वैसे पदों पर कार्यरत शिक्षकों के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे।

(iv) खुली प्रतियोगिता के आधार पर उच्चतर संवर्गीय पदों पर विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति में न्यून पदों पर कार्यरत आन्तरिक अभ्यर्थियों को इस पुनरीक्षण में अंकित उच्चतर अर्हता में इस सीमा तक छूट दी जायेगी कि वे पूर्व के पुनरीक्षण में अनुशंसित ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ के अर्हताओं को धारित करते हैं। यह छूट ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ के इस अधिसूचना की तिथि 30.12.1999 से आगामी 05 वर्षों के लिए अनुमान्य होगी। इसके उपरांत, आन्तरिक अभ्यर्थियों के लिए भी इस पुनरीक्षण में अनुशंसित अर्हता एवं अनुभव प्रभावी होंगे।

(v) वैसे शिक्षक जो दिनांक 01.01.1996 के पूर्व से सेवा में है तथा जो नियमित नियुक्ति के समय द्वितीय श्रेणी के स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि धारित थे, उन्हें प्रथम श्रेणी की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि की अनिवार्यता में छूट दी जायेगी।

3.4 उच्चतर अर्हता के लिए प्रोत्साहन–

(i) व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति में पीएच॰डी॰ उपाधि धारकों को चार अग्रिम वेतन–वृद्धि का लाभ देय होगा।

(ii) विज्ञान/मानवता तथा तकनीकी संकायों में व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति में क्रमशः एम॰फिल॰ तथा एम॰ई॰/एम॰टेक॰ उपाधि धारकों को दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(iii) एम॰ई॰/एम॰टेक॰ उपाधि धारित शिक्षक यदि अपने सेवा–काल में पीएच॰डी॰ की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

(iv) जो व्याख्याता पीएच॰डी॰ उपाधि धारक है तथा यदि वे कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत व्याख्याता प्रवर कोटि के पद पर प्रोन्नत होते हैं या विभागाध्यक्ष के पद पर उनकी सीधी नियुक्ति होती है, तो उन्हें दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

3.5 कैरियर एडवान्समेंट–

(i) व्याख्याता वरीय वेतनमान पीएच॰डी॰ तथा एम॰फिल॰ तथा एम॰ई॰/एम॰टेक॰ उपाधि धारित व्याख्याता क्रमशः चार एवं पांच वर्षों के सेवोपरान्त तथा अन्य व्याख्याता छः वर्षों के सेवोपरान्त इस कोटि में प्रोन्नत हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त इस कोटि में प्रोन्नति हेतु व्याख्याताओं को ओरिएन्टेशन कोर्स/रिफ्रेशर कोर्स/इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना आवश्यक होगा जिनकी समेकित अवधि आठ सप्ताह की होनी चाहिए अथवा ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा विनिर्दिष्ट/अनुमोदित कन्टीन्यूइंग एडुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्रामरा (तुलनायोग्य गुणवत्ता एवं अवधि के) में भाग लेना आवश्यक होगा। पीएच॰डी॰ उपाधि धारित व्याख्याताओं को इस कोटि में प्रोन्नति हेतु किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग में भाग लेना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) व्याख्याता (प्रवर कोटि)–अभियंत्रण/गैर अभियंत्रण संकायों के क्रमशः मास्टर डिग्री/पीएच॰डी॰ उपाधि धारित वरीय व्याख्याता/व्याख्याता (वरीय वेतनमान) जो वरीय व्याख्याता/व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों पर पॉच वर्षों का अनुभव रखते हों वे चयन समिति के अनुशंसोपरान्त इस कोटि में प्रोन्नत हो सकेंगे।

(iii) इस योजनान्तर्गत प्रोन्नत शिक्षकों का कार्य–भार प्रोन्नति पूर्व के पद के अनुरूप मौलिक कार्य–भार के समान होगा।

(iv) जब तक इस योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन तथा चयन प्रक्रिया संबंधित मार्गदर्शन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है तब तक सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित चयन समिति एवं चयन प्रक्रिया इसके लिए भी लागू रहेगी।

(v) इस योजनान्तर्गत देय सभी प्रोन्नतियॉ कुल स्वीकृत पद के सीमान्तर्गत ही सीमित रहेगी।

3.6 अन्य सेवा शर्तें –

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान सहित निर्धारित सभी शर्तों एवं बंधेज को सम्पूर्ण योजना के रूप में लागू किया जायेगा।

(ii) इस योजना को लागू करने के क्रम में राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिनियम, परिनियम में तदनुकूल संशोंधन कर लिया जाएगा।

(iii) वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होगी तो इसकी सूचना राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा निदेशालय को उसके निवारणार्थ दी जायेगी।

(iv) प्रासंगिक पुस्तकों एवं जर्नल इत्यादि का 75 प्रतिशत राशि (अधिकतम तीन हजार रूपये प्रतिवर्ष) तक किसी एक राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रोफेशनल सोसायटी के वार्षिक सदस्यता शुल्क का 85 प्रतिशत राशि तक व्यक्तिगत कम्प्यूटर के मूल्य 75 प्रतिशत राशि तक तथा प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय एवं प्रत्येक तीन वर्षों में एक अर्न्तराष्टीय सेमिनार में टेकनिकल पेपर प्रस्तुत करने का रजिस्ट्रेशन शुल्क का टी॰ए॰/डी॰ए॰ पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यरत शिक्षकों को की जायेगी।

(v) शिक्षकों का कन्सलटेन्सी/टेस्टिंग एसाइनमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इस में ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन का अनुसरण किया जायेगा।

(vi) गुणवत्ता में सुधार हेतु संकायों में स्वीकृत कुल पदों का 15 प्रतिशत तक के शिक्षकों को मास्टरी या पीएच॰ डी॰ प्रोग्राम्स तथा औघौगिक प्रशिक्षण के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जायगी।

4. राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के सभी कोटि के लिए शिक्षकों की आयु–सीमा यथावत साठ (60) रहेगी।

5. पुरनीक्षित वेतनमान राज्य के राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में स्वीकृत पदों पर विहित/विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षकों को ही मान्य होगा। जिन शिक्षकों का नियमितिकरण या सामंजन सरकारी सेवा में नहीं हुआ है वैसे शिक्षकों को तत्काल पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य नहीं होगा। सेवा नियमितिकरण/सामंजन की तिथि अथवा दिनांक 01.01.1996, जो बाद में हो, से पुनरीक्षित वेतनमान अनुमान्य होगा।

6. राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक 05.01.1979 के पश्चात गठित नई स्टाफ संरचना के अधीन शिक्षकों को दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के उपरांत उनके वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.1996 से किया जाएगा किन्तु उनके बकाया वेतनादि का भुगतान दिनांक 01.04.1997 के प्रभाव से किया जाएगा। दिनांक 01.01.1996 से 31.03.1997 की अवधि के लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण, अभातशिप के सुसंगत पत्र में दिए गए फिटमेंट फारमूला जो सेन्ट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) रूल्स 1997 तथा उसके अन्य सुसंगत प्रावधानों से आच्छादित है, से किया जाएगा।

7. दिनांक 01.01.1996 के पूर्व किसी तिथि से जो शिक्षक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद द्वारा अनुशंसित मेधा प्रोन्नति योजना तथा कैरिअर एडवांसमेंट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति की पात्रता रखते हों तो उन्हें उक्त योजनाओं में सामंजित कर प्रोन्नति का लाभ देते हुए सुसंगत पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतन निर्धारण किया जाएगा।

8. दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से वेतन निर्धारण में उक्त तिथि के पूर्व की अभातशिप द्वारा अनुशंसित मेधा प्रोन्नति योजनाओं के अतिरिक्त प्रोन्नत शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान इस आधार पर दिया जाएगा मानो उन्हें राज्य प्रोन्नति/कालबद्व/वैयक्तिक प्रोन्नति योजनाओं में प्रोन्नति मिली ही न हो अर्थात उनका वेतन, निर्धारण उनके मूल कोटि के पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाएगा। यदि पुनरीक्षित वेतनमान में परिलब्धियॉ उच्चतम स्तर से अधिक हो जाती है तो वैसी दशा में पुनरीक्षित वेतनमान के उच्चतम स्तर पर वेतन निर्धारण किया जाएगा तथा अन्तर की राशि

ह्यसमान वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जाएगा जिसका सामंजन भविष्य में मिलने वाली वेतन–वृद्वि की राशि से होगा।

9. राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को महॅगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं अन्य भत्तादि राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप देय होगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं अन्य अनुमान्य भत्तादि इस अधिसूचना के निर्गत होने वाले माह से प्रारंभ होगा। किन्तु बकाया वेतन एवं भत्तादि का भुगतान उपर्युक्त कंडिका 6 के अनुसार देय होगा।

नई स्टाफ संरचना के अधीन शिक्षकों को वह विकल्प दिया जाएगा कि यदि वे चाहे तो अपुनरीक्षित ही बने रहें। उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस आशय का विकल्प अधिसूचना के निर्गत की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्दर ही अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देंगे उनके सम्बन्ध में यह मान लिया जाएगा कि वे नये वेतनमान में रहेंगे।

आदेश – आदेश दिया जाता कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियॉ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰) बिहार पटना को प्रेषित की जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13/2002 02/वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार एवं झारखंड, पटना/रॉची की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13/2002 02/वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13 / 2002 02 / वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सदस्य सचिव, अभातशिप, इंदिरा गाँधी स्पोर्टस काम्पलेक्स, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट को उनके पत्रांक एफ॰ न॰–65 / सीडी / एन ई सी / 98–99, दिनांक–30.12.1999 के प्रसंग प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13 / 2002 02 / वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार / सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13 / 2002 02 / वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशित किया जाय एवं इसकी पांच सौ अतिरिक्त प्रतियां वित्त विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराये।

(राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–3 एम–2–5–वे०पु०–13 / 2002 02 / वि०(2) पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– वित्त आयुक्त, झारखण्ड सरकार, रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राहुल सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना